33 अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

4257/17/223 रतना बनाम हेमराज वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2015/अ0212 श्री बी.एल.शर्मा श्री आर.एम.चंगारोत्र ।/3	

रतना बनाम हेमराज वगैरह

24.7.19 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश। अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 11.07.2019 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2011 को एक तरफा कार्यवाही कर वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया है जबकि हस्तगत वाद दिनांक 09.06.2005 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका था। तत्पश्चात प्रार्थी/अपीलांट का कभी भी सूचना, नोटिस द्वारा तामील नहीं करवाया गया एवं पत्रावली पुनः दिनांक 20.04.2010 को रिकार्ड पर ली जाकर समस्त प्रतिवादीगण की हाजरी कर ली गई। पत्रावली पर ऐसा काई दस्तावेजात रिकार्ड पर उपलब्ध नही है।जिससे प्रतिवादीगण की तामील हुई हो या बाजदायरी प्रार्थना पत्र को भी बिना नोटिस दिये ही स्वीकार किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.08.2011 को समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया है जो कि अवैधानिक रूप से किया गया है जिसकी जानकारी दिनांक 07.08.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा एक तरफा कराने की धमकी देने पर एवं दिनांक 10.08.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई है एवं तत्पश्चात प्रार्थी अत्यधिक बीमार होने से लकवा ग्रस्त होने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं कर सका। दिनांक 29.08.2011 से दिनांक 08.10.2015 तक समय कन्डोन फरमाया जाकर अपील मियाद शुमार की जावे।

न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 3 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे को दिनांक 09.06.2009 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया, यह सही बात है किन्तु दावे को पुनः नम्बर लेने बाबत् प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये, नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए और उनकी ओर से बाजदायरी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं वर्तमान अपीलांट के अभिभाषक श्री भैरूलाल शर्मा दिनांक 20.04.2010 को उपस्थित हुए। बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया जिसकी जानकारी अभिभाषक अपीलांट को थी। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांट का यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की जानकारी नहीं हुई, गलत है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष में 2016 (1)डी.एन.जे.(राज) पेज 201 को न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2011 को एक तरफा कार्यवाही कर वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया है जबकि हस्तगत वाद दिनांक 09.05.2005 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका था। तत्पश्चात प्रार्थी/अपीलांट को कभी भी सूचना, नोटिस तामील नहीं करवाया गया एवं पत्रावली दिनांक 20.04.2010 को रिकार्ड पर ली जाकर समस्त प्रतिवादीगण की हाजरी कर ली गई। दिनांक 07.08.2015 को रेस्पोडेन्टस द्वारा एक तरफा निर्णय की धमकी देने पर एवं दिनांक 10.08.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे सलंग्न बाजदायरी प्रार्थना पत्र में दिनांक 20.04.2010 की आदेशिका मे यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण की ओर से श्री भैरू लाल शर्मा एड्वोकेट उपस्थित, जवाब पेश न कर बहस करना जाहिर किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया गया हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

52

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

425/15/223 रतना बनाम हेमराज वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2015/00212 श्री मोतीलाल शर्मा श्री आर.एम. बंगारोत पेनु3	
लगातार	इस प्रकार उनकी उपस्थित में प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया है और वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये है। इस प्रकार अभिभाषक का यह कथन की अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी जानकारी हमें नही हुई, गलत है। अभिभाषक अपीलांट ने यह लगभग 1408 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की है। 2016 (1)डी.एन.जे.(राज) पेज 201 का अनुसरण किया गया– धारा 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा–100–अपील पेश करने में 1408 दिनो का विलम्ब– यदि उदार दृष्टिकोण अंगीकार किया तो यह मियाद के कानून को निरर्थक व बेकार कर देगा– प्रकरण विश्वास उत्पन्न नहीं कर रहे है– तात्विक तथ्यों को छिपाया – विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण नहीं बताया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज होने योग्य है। उक्तानुसार विवेचन के क्रम में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट भी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। 24/7/19 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	